

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग तथा मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा - 2023

(मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित "उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 या 2023"
में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण एवं अर्ह पाये गये अभ्यर्थी ही इस चयन परीक्षा में आवेदन करने हेतु पात्र होंगे)

परीक्षा संचालन नियमपुस्तिका

ऑनलाइन आवेदन-पत्र	
ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारम्भ तिथि : 18/05/2023	ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि : 01/06/2023
आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारम्भ तिथि : 18/05/2023	आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि : 06/06/2023
परीक्षा दिनांक व दिन	02/08/2023, बुधवार से प्रारंभ
मण्डल का परीक्षा शुल्क *	
सीधी भर्ती के पदों हेतु	अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिये रु 500/- प्रति प्रश्न पत्र
	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिये (केवल म.प्र. के मूल निवासियों के लिये) रु. 250/- प्रति प्रश्न पत्र
	केवल सीधी भर्ती - बैकलॉग पदों हेतु कोई शुल्क नहीं
ऑनलाइन आवेदन - कियोस्क के माध्यम से आनलाइन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु एमपीआनलाइन का पोर्टल शुल्क रुपये 60/- देय होगा । इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लागिन कर फार्म भरने पर पोर्टल शुल्क 20/- रु. देय होगा ।	
* मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र. एफ 12-05/2023/1-एक, भोपाल दिनांक 20 अप्रैल 2023 के अनुसार मण्डल द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में दिनांक 19 अप्रैल 2024 तक भरवाए जाने वाले आवेदन-पत्रों में आवेदकों को केवल प्रथम परीक्षा का आवेदन-पत्र भरने के समय एक बार निर्धारित परीक्षा शुल्क देय होगा। उसके बाद उक्त अवधि तक कर्मचारी चयन मण्डल की किसी भी अन्य परीक्षा में आवेदन भरते समय आवेदक को परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। आवेदन भरते समय एम.पी.ऑनलाइन का निर्धारित पोर्टल शुल्क यथावत देय होगा।	

आनलाइन परीक्षा पद्धति समय सारणी

परीक्षा दिनांक एवं दिन	परीक्षा की पाली	अभ्यर्थियों के लिये रिपोर्टिंग समय	महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय	उत्तर अंकित का समय
02/08/2023, बुधवार से प्रारंभ	प्रथम	प्रातः 07:30 से 08:30 बजे तक	09:20 से 09:30 बजे तक (10 मिनट)	प्रातः 09:30 से 11:30 बजे तक (2:00 घंटे)
	द्वितीय	दोपहर 01:00 से 02:00 बजे तक	02:50 से 03:00 बजे तक (10 मिनट)	दोपः 03:00 से 05:00 बजे तक (2:00 घंटे)

टिप्पणी :-

- अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है। यू.आई.डी.ए.आई.(UDA) के द्वारा सत्यापित (Verify) होने पर ही ई आधार मान्य होगा।
- बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पैनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस तथा पासपोर्ट में से कोई एक को चयनित कर सकता है। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।
- अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका में विनिश्चित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड/ई-आधार कार्ड/आधार कार्ड की छायाप्रति /आधार नंबर/आधार VID की जानकारी लाना अनिवार्य है।
- परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है।
- परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोर्टिंग समय तक परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके पश्चात विलम्ब से आने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यथा मोबाईल फोन, केलकुलेटर, लॉग टेबल्स, डिजिटल वॉच एवं नकल पर्चा इत्यादि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।
- ऑनलाइन आवेदन-पत्र क्रमांक के द्वारा ही ऑनलाइन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।
- सभी अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा।
- परीक्षा केन्द्र पर आवेदक को काला बाल प्वाइंट पेन तथा परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
- किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
- आवेदन-पत्र भरते समय उम्मीदवारों के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण मण्डल द्वारा नहीं किया जाता है। अतः कम्प्यूटर आधारित online परीक्षा में उम्मीदवारों की पात्रता (Eligibility) पूर्णतः प्रावधिक (Provisional) होगी।
- विभागीय जानकारी अनुसार उच्च माध्यमिक शिक्षक का पद द्वितीय श्रेणी एवं अकादमिक पद होने के कारण भर्ती हेतु आदिम जनजाति (बैगा,सहारिया/सहरिया एवं भारिया) के अभ्यर्थियों को परीक्षा से छूट का प्रावधान नहीं होगा वे अभ्यर्थी अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा हेतु आनलाइन आवेदन करें।



मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल

"चयन भवन" मेन रोड न.1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल 462011

फोन न. 0 755-2578801-2 Fax: +91-755-2550498 Web :- www.esb.mp.gov.in ई-मेल : E-Complain Id : Complain.esb@mp.gov.in

कार्यालय आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्र. यूसीआर/2022/361, दिनांक 21/01/2023, यूसीआर/सी/252/उमाशि/2023/693, दिनांक 12/04/2023, यूसीआर/सी/252/2023/721, दिनांक 18/04/2023, तथा मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग, भोपाल का पत्र क्र. 556/1267363/2023/1/25, दिनांक 20/04/2023 एवं कार्यालय आयुक्त, जनजातीय कार्य, मध्यप्रदेश, भोपाल का पत्र क्र. शिक्षा/स्था.2/940/2023/8617, दिनांक 21/04/2023 के अनुसार :-

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग तथा मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा - 2023

विषय-सूची

स.क्रं.	अध्याय	विवरण	पृष्ठ क्र.
1.	1	उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए चयन परीक्षा - 2023 विभागीय नियम	3-8
2.	2	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल के परीक्षा संचालन नियम	9-19
3.	3	परीक्षा का पाठ्यक्रम	20-80
4.	-	परिशिष्ट-1 : मुख्य विषयों के सहविषयों (Allied Subjects) की सूची	81-86
5.	-	परिशिष्ट-2 : विभागवार, पदवार, श्रेणीवार व संवर्गवार आरक्षण तालिकाएँ	87-103
6.	प्रारूप-1	आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि पत्रक	104